भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2564

जिसका उत्तर दिनांक 18.03.2021 को दिया जाना है

मोनाज़ाइट खनिजों के खुले में पाटन पर प्रतिबंध

2564. श्री ए. विजयकुमार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में मोनाज़ाइट का विशाल भंडार पाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मोनाज़ाइट खनिजों के भंडार को खुले स्थान पर रखा जाता है जिससे देश में, विशेष रूप से तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में विकिरण की समस्या उत्पन्न होती है; और

(घ) यदि हां, तो विशेष रूप से तमिलनाडु में मोनाज़ाइट के खुले में पाटन/भंडारण पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ.जितेंद्र सिंह) :

(क) तथा (ख) जी, हां । मोनाज़ाइट (खनिज जिसमें थोरियम और विरल पदार्थ तत्व हो) युक्त लाभकर भारी खनिज निक्षेप देश की तटीय और इनलैंड पुलिन बालू में पाए जाते हैं । मोनाज़ाइट इल्मेनाइट, रूटाइल, जिर्कोन, गार्नेट और सिलीमेनाइट जैसे लाभकर भारी खनिजों के साथ में असमेकित रूप में पाया जाता है ।

परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की एक संघटक यूनिट, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), ने केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के भागों में तटीय समुद्री पुलिन बालू और झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के भागों में इनलैंड मिट्टी इत्यादि में 130 निक्षेपों से अब तक 12.73 मिलियन टन मोनाज़ाइट स्थापित किया है । एएमडी द्वारा स्थापित स्वस्थाने मोनाज़ाइट संसाधन का राज्य-वार विवरण निम्नलिखित है :

राज्य	निक्षेपों की संख्या	संसाधन (मिलियन टन)	
		मोनाज़ाइट	कुल भारी खनिजें
ओडिशा	12	3.16	332.44
आंध्र प्रदेश	24	3.78	333.45
तमिल नाडु	50	2.47	298.42
केरल	35	1.84	242.88
महाराष्ट्र	5	0.004	5.64
गुजरात	2	0.07	12.53
पश्चिम बंगाल	1	1.20	5.45
झारखंड	1	0.21	1.12
कुल	**130**	**12.73**	**1,231.93**

(ग) तथा (घ) मोनाज़ाइट खनिज निक्षेप देश के तटीय भागों में छह अन्य खनिजों के साथ प्रकृति में खुले स्थान पर पाए जाते हैं । ये निक्षेप, वायु की क्रिया के साथ मिलकर समुद्री तरंगों के लिट्टोरल कार्य की वजह से प्राकृतिक रूप से बनाए गए हैं ।

खनिजों का दोहन करने के बाद, खनिज से खाली हुए क्षेत्र को बालू से भर दिया जाता है । इस क्षेत्र में मोनाज़ाइट नहीं होता है जिससे निक्षेप में पृष्ठभूमि विकिरण घटकर अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सीमा अर्थात प्रति घंटा 0.5 माइक्रोसीवर्ट से कम हो जाता है । अतः विकिरण समस्या का प्रश्न नहीं उठता है ।

स्वास्थ्य भौतिकी इकाई (एचपीयू), भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी), भारत सरकार के पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रभाग (ईएडी) की एक स्वतंत्र इकाई कन्याकुमारी जिला में स्थित है जो परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) के दिशा-निर्देशों/आवश्यकताओं के अनुसार रेडियोलॉजिकल संरक्षा पहलुओं का मॉनीटर करती है ।

* * * * *